कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री फैन्सी लेदर सेन्टर, सी0-1 / 31, फाटक शेख सलीम, नई सड़क रोड, वाराणसी।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**97 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री जाफर मुस्तफा, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-97 / 11, दिनांक 21.10.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **सूटकेस, ट्राली बैग, बैग, कालेज बैग एवं प्लास्टिक बैग** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री जाफर मुस्तफा, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि सूटकेस, ट्राली बैग, बैग, कालेज बैग एवं प्लास्टिक बैग की खरीद-बिक्री का कार्य किया जाता है तथा उनके द्वारा अभी तक 4% की दर से करदेयता स्वीकार की जाती रही है। परन्तु वर्ष 2011-12 में सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा एक नोटिस जारी की गयी जिसमें 12.5% की दर से कर जमा करने हेतु कहा गया।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम के पत्रांक-2325, दिनांक 29.11.11एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, वाराणसी के पत्र संख्या-1486, दिनांक 28.11.11 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार व्यापारी द्वारा टेक्सटाइल बैग के अतिरिक्त ट्राली बैग, डफल बैग, एयर बैग, सूटकेस, प्लास्टिक अटैची की खरीद-बिक्री का किया जाता है, जो किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना-पत्र में स्वीकार किया गया है कि करदेयता के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा नोटिस जारी की गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि व्यापारी के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर उक्त मामले में कार्यवाही प्रचलित है। ऐसी परिस्थिति में व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। अत: व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 9 दिसम्बर, 2011

ह0 / 09.12.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।